पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-09/2022- 3445 /वि०स० । 13.10.2022

प्रिय श्री बी०पी० कर्मांकर जी

सप्तदश बिहार विधान सभा का षष्ठम सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 24 जून, 2022 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 30 जून, 2022 को स्थगित हुआ । पुनः माननीय सदन नेता द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2022 को किये गये अनुरोध पर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-17 के परन्तुक के तहत् माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा षष्ठम सत्र का उपवेशन दिनांक 24 अगस्त, 2022 को निर्धारित किया गया । दिनांक 24 अगस्त, 2022 की बैठक में सभा द्वारा पुर्नगठित किये गये कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सभा द्वारा उपवेशन को एक और दिन, दिनांक 26 अगस्त, 2022 के लिए विस्तारित कर दिया गया । दिनांक 26 अगस्त, 2022 को निर्धारित कार्य (अध्यक्ष का निर्वाचन) के सम्पादन के पश्चात सभा की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । षष्ठम सत्र में कुल सात (07) बैठकें संपन्न हुई । इस सात दिवसीय सत्र की यह विशेषता रही कि इस दौरान बिहार विधान सभा का संचालन दो माननीय अध्यक्ष क्रमशः श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री अवध बिहारी चौधरी द्वारा सम्पन्न हुआ ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के षष्ठम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्तमान सत्र में कुल पाँच बैठकें निर्धारित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के लिए एक दिन, राजकीय विधेयक के लिए दो दिन एवं गैर सरकारी संकल्प के लिए एक दिन निर्धारित है ।

माननीय सदस्यगण लोकतांत्रिक मूल्य सदा से हम भारत के लोगों के स्वभाव का अंग रहा है । संवाद से समाधान तक पहुंचना, शासन की स्वच्छंद शक्तियों पर सीमाओं का आरोपण तथा विधि का शासन प्राचीन काल से ही हमारी परंपरा रही है । 75 वर्ष पूर्व जब हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ तो यही भाव, यही स्वभाव लेकर हम आगे बढ़े । हमारे लिए संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक विचार है, हमारी निष्ठा का प्रतीक है, पूरा का पूरा जीवन दर्शन है । आज जब हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे है, अपने उज्जवल अतीत को याद करते हुए हमें उज्जवलतर भविषय की ओर देखना है । अपरी पद-प्रतिष्ठा के अनुरूप दायित्व को निभाने का प्रयास कराना है । अधिकार ओर कर्त्तव्य के बीच एक संतुलन साधना होगा क्योंकि यदि हमारे अधिकार हैं, तो उसके साथ कर्त्तव्य भी जुड़े है, और कर्त्तव्य हैं तभी अधिकार भी मजबूत होते हैं । इसलिए आज पूरा देश एक स्वर में कर्त्तव्यबोध की बात कर रहा है ।

हमने बिहार विधान सभा भवन के शताब्दी वर्ष को एक मील का पत्थर मानते हुए अपनी विरासत को जन सामान्य तक ले जाने के लिए विधान सभा परिसर में एक डिजिटल संग्रहालय बनाने का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी से साझा किया । मुझे बेहद खुशी है कि वे न केवल इस विचार से सहमत हुए बल्कि हर प्रकार से सहयोग करने का विश्वास दिलाया । इस डिजिटल संग्रहालय में माननीय सदस्यों के अच्छे किये हुए उत्कृष्ट कार्य का विवरण भी रहेगा, जो ऐतिहासिक होगा । इसी प्रकार हमारी सरकार एम०एल०ए० हॉस्टल तथा अतिथिशाला के निर्माण में भी सराहनीय सहयोग दे रही है ।

माननीय लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्कृष्ट विधायिका के मानदंड निर्धारित हो रहे है । कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष के सभापतित्व में उत्कृष्ट विधायिका के पैमाने तय करने के लिए एक समिति बनायी गई है जिसमें

मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है । मेरी हार्दिक इच्छा है कि उत्कृष्ट विधायिका के जो भी मानक निर्धारित हों, उन सभी मानकों पर हमारे बिहार की विधायिका श्रेष्ठतम साबित हो क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है । इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र का विचार और व्यवहार यहाँ गढ़ा गया और दुनिया ने उसे आत्मसात किया । इस दिशा में बढ़ते हुए हमने भी अपने यहाँ उत्कृष्ट विधायक चुनने का विचार रखा है । आने वाले दिनों में विधान सभा भवन शताब्दी स्तम्भ का उद्घाटन होना है, जिसके उद्घाटन के लिए आप सभी के भावनाओं के अनुकूल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के आगमन के लिए हमने आमंत्रण भी भेजा है । इस कार्यक्रम हेतु भी आपके सार्थक और रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करता हूँ ।

माननीय सदस्यगण, पाँच कार्य दिवसों का यह सत्र अपने स्वरूप में भले ही छोटा है लेकिन गुणात्मक रूप से यह व्यापक महत्व का है । अतः हम सबको मिलकर इस सत्र में मिले समय का सकारात्मक सदुपयोग करते हुए जनकल्याण की दिशा में आगे बढ़ना है । हमें यह भाव मन में लेकर चलने का प्रयास करना है कि:-

"आये हो निभाने का जब किरदार जमीं पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे ।"

अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 04 (चार) सदस्य श्री शाहनवाज, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-50 (जोकीहाट); श्री मोहम्मद अनजार नईमी, क्षेत्र संख्या-52 (बहादुरगंज); श्री मुहम्मद अजहार असफी, क्षेत्र संख्या-55 (कोचाधामन) एवं श्री सैयद रूकनुददीन अहमद, क्षेत्र संख्या- 57 (बायसी) द्वारा राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल में विलय किये जाने के अनुरोध पर भारत के संविधान के दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चारों सदस्यों का राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल में सदस्य के रूप में विलय की मान्यता दिनांक- 30 जून, 2022 से प्रदान कर दी गयी है । अब सर्वश्री शाहनवाज, मोहम्मद अनजार नईमी, मुहम्मद अजहार असफी एवं श्री सैयद रूकनुददीन अहमद, स०वि०स० राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 24 जून, 2022 को महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्न ग्यारह (11) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

(1) बिहार विनियोग विधेयक, 2022
(2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2022
(3) बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022
(4) बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022
(5) बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा अयोग (संशोधन) विधेयक, 2022
(6) बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022
(7) बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022
(8) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022
(9) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022
(10) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022
(11) बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

वित्तीय कार्य

दिनांक 24 जून, 2022 को वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन किया गया । दिनांक 29 जून, 2022 को प्रथम अनुपूरक व्यय

विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा यह स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-72, दिनांक-21.02.2022; एस०ओ०-73, दिनांक-17.03.2022; एस०ओ०-74, 75, 76 एवं 77, दिनांक-31.03.2022 एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
2. श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र समाज आयोजक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2009; बिहार श्रम लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2014; बिहार श्रम आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग नियमावली, 2016; बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2017; बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार सचिवालय भोजशाला प्रबंधक संवर्ग नियमावली, 2017; बिहार सचिवालय भोजशाला लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017 एवं बिहार सचिवालय भोजशाला समूह-'घ' नियमावली, 2017 की एक-एक प्रति सभा मेज पर पर रखी गई ।
3. मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-95 (3) के तहत् बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 की एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
4. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड अधिनियम, 1981 की कंडिका 26(3) के तहत् "बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक) शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2022", "बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2022" एवं "बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, 2022" की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन "राज्य के वित्त" को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखी गई ।
6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन "राज्य के वित्त" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" ।
7. सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य भंडार निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022
2. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श

दिनांक-27 जून, 2022 को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत् श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० से प्राप्त सूचना ''राज्य में वायु-प्रदूषण के कारण लोगों की घट रही उम्र'' एवं दिनांक-28 जून, 2022 को श्री संजय सरावगी, स०वि०स० से प्राप्त सूचना ''उत्कृष्ट विधान सभा एवं उत्कृष्ट विधायक के स्वरूप निर्धारण संबंधी'' विषय पर विमर्श हुआ ।

याचिका

इस सत्र में कुल 94 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 89 स्वीकृत हुए तथा 05 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 139 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 137 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 02 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 827 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें से 713 प्रश्न स्वीकृत हुये, इन स्वीकृत प्रश्नों में कुल 46 अल्पसूचित प्रश्न थे, जिनमें 45 के उत्तर प्राप्त हुए, 572 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 553 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 95 प्रश्न अतारांकित हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 181 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 70 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 03 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 107 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए एवं सभी 107 सूचनाएँ स्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 70 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये तथा 37 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना से अवगत कराया गया तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय नन्दकिशोर प्रसाद, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व स०वि०प०
2. स्वर्गीय नवल किशोर राय, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व सांसद
3. स्वर्गीय सीताराम दास, पूर्व मंत्री एवं पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय सुरेश कुमार मिश्र, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय त्रिभुवन सिंह, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय रामदेव वर्मा, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय डॉ० युगल किशोर प्रसाद, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय प्रशान्त कुमार, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय शिवनन्दन प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०प०

10. स्वर्गीय योगेन्द्र पाण्डेय, पूर्व स०वि०स०
11. स्वर्गीय प्रोफेसर असलम आजाद, पूर्व स०वि०स०

अध्यक्ष द्वारा पद का त्याग

सप्तदश बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2022 से अपने अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया गया । जिसके बाद सभा का संचालन माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा किया गया ।

विश्वास का प्रस्ताव

दिनांक 24 अगस्त, 2022 को सरकार द्वारा विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसपर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के उपरांत विभाजित होकर मतदान की प्रक्रिया (लौबी डिवीजन) हुई, जिसमें प्रस्ताव के पक्ष में 160 मत एवं प्रस्ताव के विपक्ष में 00 मत प्राप्त हुआ । वर्त्तमान राज्य मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ ।

अध्यक्ष का निर्वाचन

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 26 अगस्त, 2022 की तिथि नियत किया गया । दिनांक 26 अगस्त, 2022 की बैठक में सभा द्वारा श्री अवध बिहारी चौधरी, स०वि०स० को सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । निर्वाचनोपरान्त सभी दलों के नेतागण क्रमशः श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री; श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय नेता विरोधी दल; श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री; श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री; श्री अजीत शर्मा, माननीय स०वि०स०; श्री महबूब आलम, माननीय स०वि०स०; श्री अजय कुमार, माननीय स०वि०स०; श्री राम रतन सिंह, माननीय स०वि०स०; श्री जीतन राम मांझी, माननीय स०वि०स० एवं श्री अख्तरूल ईमान, माननीय स०वि०स० द्वारा अपना विचार सदन के समक्ष रखा गया ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री; श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय नेता विरोधी दल; श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री; श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री; श्री अजीत शर्मा, माननीय स०वि०स०; श्री महबूब आलम, माननीय स०वि०स०; श्री अजय कुमार, माननीय स०वि०स०; श्री राम रतन सिंह, माननीय स०वि०स०; श्री जीतन राम मांझी, माननीय स०वि०स०; श्री अख्तरूल ईमान, माननीय स०वि०स० एवं इस सदन में मौजूद सभी दलों के माननीय सदस्यगण, आज सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर आपलोगों ने जो मिशाल पेश की है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त किया गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने संबोधन में उल्लेख किया गया कि मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, किसान हूँ, किसानों की समस्याओं को लेकर मैंने संघर्ष किया है । मुझे गर्व है कि मैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी के जन्मस्थली सीवान जिले से आता हूँ । मैं गाँधी और लोहिया की विचारधारा से काफी प्रभावित रहा हूँ, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ । मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की नीति, विचार एवं सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास भी करता रहा हूँ कि कैसे विचारों को व्यवहारिक रूप दिया जाता है । मैं बाबा साहब भीम राव अंबेडकर, डॉ० राम मनोहर लोहिया एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के उन आदर्शों को भी अपनाने का प्रयास करता हूँ । मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं माननीय लालू जी के दिल के करीब हूँ, उन्होंने मुझे मान-सम्मान दिया ओर अन्याय के विरूद्ध लड़ने की हिम्मत दी, उनकी राजनीतिक कुशलता मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा देती है । मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति कहता चाहता हूँ कि वे मात्र मुख्यमंत्री नहीं हैं, वे स्टेट्समैन हैं, उनमें एक विराट दूरदर्शिता है, उनके पास डॉ० श्रीकृष्ण सिंह जी जैसी प्रशासनिक कुशलता है । उनके

पास सबों को साथ लेकर चलने का जज्बा है, उनके उद्‌गार के प्रति मैं उनका आभारी हूँ । मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूँ । यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे एक सशक्त युवा नेता मिला है जो हम जैसे बुजुर्गों को साथ लेकर चलने का जज्बा रखता हैं । मैं विधान सभा में अन्य सभी दलों के माननीय सदस्यों से, उनके नेता से प्रभावित रहता हूँ । मैं हमेशा जनता के हित के प्रति सजग रहा हूँ, मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा, विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों के मान एवं सम्मान की रक्षा करता रहूँगा ।

बिहार विधान सभा के इस फोरम को अधिक से अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करूगाँ । मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सभा जनता के दुख दर्द का आईना बनकर आप सभी प्रतिनिधियों के साथ सरकार को सही मार्गदर्शन देता रहेगा और सरकार विधान सभा के प्रति अपनी जवाबदेही निभाती रहेगी । आप सबों ने मेरे प्रति जो उद्‌गार व्यक्त किया है, मैं प्रयास करूंगा कि आप सबों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, मैं हमेशा प्रयास करूगां कि आसन की निष्पक्षता बनी रहे । आसन का संचालन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप हो तथा सदन का मान बढ़े । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबों का पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होगा । मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल एवं सभी दलों के नेतागण तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

दिनांक 26 अगस्त, 2022 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी । जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

27/9/22

(पवन कुमार पाण्डेय)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
26-9-22

सेवा में,

श्री बी०पी० कर्माकर
सचिव,
त्रिपुरा विधान सभा,
अगरतल्ला ।